अधिसूचना

9 मार्च, 2007

एस०ओ० 65, दिनांक 9 मार्च, 2007--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 9 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित वस्तुएं, जिसपर निबंधित व्यवसायी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित स्तंभ (3) में वर्णित शर्त्तों एवं बंधेज के अध्यधीन, अपने विकल्प से, उक्त वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर इस हेतु यथाविहित पूर्ण दर से कर का भुगतान कर सकते हैं, विनिर्दिष्ट करते हैं :-

अनुसूची

क्र०सं०	वस्तुओं का व्यौरा	शर्त्त एवं बंधेज
1	2	3
1.	दवाएं एवं औषधियाँ; अनुसूची II के पार्ट B के क्रम संख्या 85 में यथा विनिर्दिष्ट (होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं को छोड़कर)	(i) स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों के विनिर्माता या आयातकर्त्ता यदि किसी विपणन योजना के तहत् अपने क्रेताओं को कोई माल मुफ्त में आपूर्त्ति करते हैं तो वे ऐसे मालों के भी अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर की गणना एवं भुगतान करेंगे । (ii) स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों की पुनर्बिक्री करने वाले क्रेता व्यवसायियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमान्य नहीं होगा । (iii) मालों को पुनर्बिक्री करने वाले व्यवसायी अपने क्रेता व्यवसायियों /उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य पर, ठीक पूर्ववर्त्ती चरण में भुगतान किए गए, कर की वसूली कर लेंगे । (iv) बिक्रेता/पुनर्बिक्रेता व्यवसायी विहित रीति से अपने क्रेता व्यवसायियों को विहित प्रपत्र निर्गत करेंगे ।

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

(संचिका संख्या बिक्री कर/वैट/2/2006/521)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अलका तिवारी,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

9 मार्च, 2007

एस०ओ० 66, दिनांक 9 मार्च, 2007/एस०ओ० 65, दिनांक 9 मार्च, 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अलका तिवारी,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची ।

NOTIFICATION

The 9th March, 2007

S.O.--65, dated the 9th March, 2007, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (as amended by the Jharkhand Act 21, 2006) the Governor of Jharkhand is pleased to specify the goods, mentioned in column(2) of the Schedule below, on which a registered dealer, subject to such conditions and restrictions mentioned in column (3), read with sub-section (2) of Section 9 of the said Act, and as prescribed in this behalf, may pay, at his option; tax at the full rate on the Maximum Retail Price of such goods--

Schedule

Serial No.	Description of the goods	Conditions & Restrictions
(1)	(2)	(3)
1.	Medicines and Drugs; as specified in the Sl. No. 85 of the Part B of Schedule II (excluding Homeopathic and Unani medicines).	(i) The manufacturers or the importers of the goods described in column (2), making any free supplies to their purchasing dealers; under any marketing scheme, shall also calculate and pay tax on the Maximum Retail Price of such goods. (ii) No Input Tax Credit shall be admissible to the purchasing dealers engaged in the resale of the goods specified in column (2). (iii) The resellers engaged in reselling of the goods, shall recover the amount: equal to the tax paid, immediately at the preceding stage at Maximum Retail Price from their purchasing dealers / consumers. (iv) The selling /Re-selling dealers shall issue the prescribed Forms to their purchasing dealers in the prescribed manner.

This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

[File No. Bikri kar/VAT/2/2006/521]

By the Order of the Governor of Jharkhand,

Alka Tiwari,

Secretary-cum-Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jharkhand, Ranchi